झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–659 वर्ष 2017

महेंद्र प्रसाद ..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. सिद्धो कानू विश्वविद्यालय, अपने उप–कुलपति, दुमका के माध्यम से।

2. निबंधक, सिद्धो कानू विश्वविद्यालय, दुमका।

3. सिद्धो कानू विश्वविद्यालय, दुमका के सीनेट के सदस्य।

4. सिद्धो कानू विश्वविद्यालय, दुमका की अनुशासनात्मक समिति।

5. ए0एस0 कॉलेज, अपने प्रिंसिपल, देवघर के माध्यम से।

.... उत्तरदातागण

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री अनिल कु0 झा, अधिवक्ता

विश्वविद्यालय के लिए:– श्री मिथिलेश सिंह, अधिवक्ता

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

9/12.04.2019 इस रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 09.01.2017 के पत्र को चुनौती दी है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को पत्र की तारीख से जबरन छुट्टी में जाने के लिए कहा गया था।

इस अदालत ने उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप एवं निर्णय को रिकॉर्ड में लाने के लिए एक संक्षिप्त जवाबी हलफनामा दायर करने का

निर्देश दिया। उक्त काउंटर हलफनामा दायर किया गया है। उक्त काउंटर एफिडेविट के पैरा 6 निम्नानुसार हैः–

''6. यह कि, यहां यह बताना उचित है कि रिट याचिका निष्फल हो गई है पश्चातवर्ती घटना के मद्देनजर कि अधिसूचना संख्या 51/17 दिनांक 21.03.2017 द्वारा याचिकाकर्ता को अगले आदेशों तक पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एस0के0एम0 विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया था। आगे यह कि, पत्र दिनांक 29.4.2017, संख्या–एस0के0एम0यू0/आर0–जी0/627/2017 के द्वारा (प्रभारी), ए0एस0 कॉलेज, देवघर को जनवरी–फरवरी, 2017 के महीने के वेतन का बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया गया थपा। यह कि, मार्च 2017 स, याचिकाकर्ता प्रतिनियुक्ति पर एस0के0एम0 विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में अगले आदेश तक कार्यरत है।''

उपरोक्त पैरा के अवलोकन से, यह न्यायालय इस धारणा में है कि उत्तरदाता उपरोक्त नोटिस के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं और इस प्रकार याचिकाकर्ता को 2017 के जनवरी और फरवरी महीने के वेतन के बकाया के लिए भुगतान की अनुमति दी गई है, क्योंकि याचिकाकर्ता प्रतिनियुक्ति में था और अपना वेतन प्राप्त कर रहा था। याचिकाकर्ता को मार्च, 2017 से प्रतिनियुक्त किया गया था और उसका वेतन मिल रहा था।

. उपरोक्त तथ्य के मद्देनजर, इस रिट याचिका को याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता प्रदान करते हुए निपटाया जाता है कि वह उचित फोरम के समक्ष जा सकता है, यदि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है

(श्री आनंदा सेन, न्याया0)